बाल मजदूरी विरुद्ध
विश्व दिवस 12-18 जून

# 'बाल उत्पीड़न रोकने को सोच बदलनी जरूरी'

## बाल मजदूरी पर गोष्ठी का आयोजन

रुद्रप्रयाग (एसएनबी)। विश्व बाल मजदूरी दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायालय में विधिक गोष्ठी का आयोजन कर बाल मजदूरी पर चर्चा की गई व बाल श्रम को समाप्त करने के लिए श्रमिकों के प्रति नजरिए में बदलाव लाने की बात कही गयी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रभारी जनपद न्यायाधीश आरके मिश्रा की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में श्री मिश्रा ने कहा कि केंद्रीय विधायक व राज्य विधानमंडल द्वारा बाल मजदूरी को लेकर अनेक कानूनी अधिकार बनाए गए हैं जिससे बाल श्रमिकों पर अत्याचार न हो सके। उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून के जरिए ही बाल श्रमिकों का उत्पीड़न नहीं रोका जा सकता है बल्कि आम जनमानस को बाल श्रम के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। तभी समाज से बाल श्रम जैसी व्यवस्था समाप्त हो सकती है। जिला बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दिग्विजय बडथ्वाल ने श्रमिकों के कार्य के समय व सेवा के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं पर कानूनी जानकारी दी।

गोष्ठी में डीजीसी केपी खन्ना ने बाल श्रमिक संरक्षण अधिनियम के तहत उपचार प्राप्त करने के तरीके बताए। सहायक अभियोजन अधिकारी अरुण कुमार बाजपेई ने बाल मजदूरी से संबंधित कानूनों व अधिनियमों की जानकारी दी। डीजीसी राजस्व आनंद बगवाड़ी ने राष्ट्रीय बाल श्रम संस्थान द्वारा किए सर्वेक्षण के अनुसार बताया कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दस से चौदह वर्ष के एक तिहाई व शहरी क्षेत्रों में आठ फीसदी बच्चे बाल श्रम से पीड़ित हैं। कहा कि बाल श्रम कानूनों को क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों की उदासीनता ही बाल श्रमिकों की दुर्दशा का मुख्य कारण है। गोष्ठी में न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज शेषचन्द्र, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लक्ष्मण सिंह, लीगल एड काउंसिल सुशील भट्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता गजपाल रावत, कुंवर रावत, आरके नौटियाल, सूरज बिष्ट आदि ने भी बाल मजदूरी को लेकर विस्तृत जानकारी दी।

**रुद्रप्रयाग : बाल मजदूरी दिवस पर विधिक गोष्ठी में बोलते हुए न्यायाधिकारी।**

राष्ट्रीय सहारा
दिनाँक 19/6/2009

Seen
(आर.के. मिश्रा)
सचिव/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला विधिक सेवा प्रा०
रुद्रप्रयाग